

**नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र****(दिनांक 01/08/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)****श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 01/08/2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (दिनांक 23/09/2008 के पत्र के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री एस.के. राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री विश्वभर झा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती सुमित ग्रोवर, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान एस/श्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (v) सत्य विजय वर्मा, आईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

**D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:****(1) अनुमोदन समिति की 20/07/2023 को आयोजित अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

20/07/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 20/07/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**(2) करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक व्यापारिक इकाई स्थापित करना**

2.1 श्री प्रशांत शौकीन, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पास सादे सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया से भी ऑर्डर थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पुराने सोने के आभूषणों की बिक्री से 1 करोड़ रुपये की पूंजी की व्यवस्था की है और इसके समर्थन में बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी जमा की है। उन्होंने यह भी बताया कि अपने विदेशी खरीदारों की तात्कालिकता को देखते हुए, उन्होंने करोल बाग में स्थानीय निर्माताओं के माध्यम से सोने के आभूषणों का निर्माण किया है और उन्हें अपने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र कार्यालय से निर्यात किया है।

2.2 यह सूचित किया गया कि भारत के दूतावास, संयुक्त अरब अमीरात से आदेशों की वास्तविकता को सत्यापित करने और कंपनियों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था अर्थात् "मैसर्स रियल प्योर ज्वेलरी ट्रेडिंग कंपनी एल.एल.सी., ऑफ नंबर 104, मेट्रो बिल्डिंग, गेट नंबर 03 के पास, गोल्ड सूक, डेरा, दुबई-यूएई" और "अल रुकिया जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, 105, गेट नंबर 1 के पास, मरियम बिल्डिंग, गोल्ड सूक, डेरा-दुबई-यूएई" और क्या उन्होंने मैसर्स करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड को ये आदेश जारी किए हैं।

2.3 कौंसल (आर्थिक, व्यापार और वाणिज्य), भारत के महावाणिज्य दूतावास, दुबई ने अपने ईमेल दिनांक 24/07/2023 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

"मैसर्स रियल प्योर ज्वेलरी ट्रेडिंग एलएलसी, दुबई अस्तित्व में है और वे दुबई अर्थव्यवस्था विभाग के साथ पंजीकृत हैं विवरण इस प्रकार हैं:

लाइसेंस नंबर 1092784

लाइसेंस जारी करने की तिथि: 25.08.2022

समाप्ति तिथि: 24.08.2023.

वे गतिविधियों के लिए पंजीकृत हैं: मोती और कीमती पत्थरों का व्यापार, प्रयुक्त आभूषण व्यापार, आभूषण व्यापार और गैर-निर्मित कीमती धातु व्यापार।

इस कंपनी के प्रबंधक: श्री राजीव साहनी एक भारतीय नागरिक।

श्री राजीव साहनी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि उन्होंने मैसर्स करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को ऑर्डर दिया है।

दूसरी कंपनी मैसर्स अल रुकिया जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के संबंध में सत्यापन चल रहा है।"

2.4 आगे बताया गया कि भारतीय दूतावास, मेलबर्न से भी ऑर्डर की वास्तविकता को सत्यापित करने और कंपनी यानी "मैसर्स धुन्ना ज्वैलर्स, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया" पर एक रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। चांसरी प्रमुख एवं वाणिज्यदूत (कॉम/पोल), भारत के महावाणिज्य दूतावास, मेलबर्न ने निम्नानुसार सूचित किया है:

"उन्होंने मैसर्स धुन्ना ज्वैलर्स के मालिक श्री लवजोत धुन्ना से संपर्क किया है और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर वाणिज्य दूतावास की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है: -

(i) क्या यह निर्यात ऑर्डर वास्तविक है?

प्रतिक्रिया: हाँ, आदेश वास्तविक है। धुन्ना ज्वैलर्स द्वारा हमारे साथ साझा किए गए निर्यात ऑर्डर की प्रति वही है जो 21 जून, 2023 के उपरोक्त ईमेल संदेश के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

(ii) यदि हाँ, तो धुन्ना ज्वैलर्स का निर्यातक के साथ संबंध, अर्थात् लेनदेन की समयावधि, निर्यातक की विश्वसनीयता आदि के संदर्भ में।

प्रतिक्रिया: धुन्ना ज्वैलर्स के अनुसार, यह करोरी ज्वैलर्स को दिया गया उनका पहला ऑर्डर है।

(iii) क्या धुन्ना ज्वैलर्स ने पहले भी मैसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स (या इसके मालिक श्री अजीत सिंह) के साथ सौदा किया है, जिसकी नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई थी।

प्रतिक्रिया: धुन्ना ज्वैलर्स ने अजीत एक्सपोर्ट्स के साथ कभी कोई डील नहीं की है। उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सुना।"

2.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद और आदेशों, भारतीय दूतावासों से प्राप्त उत्तरों, धन के प्रवाह के लिए दिए गए बैंक विवरण और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से किए गए निर्यात लेनदेन के मद्देनजर मेसर्स करोरी ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। "(i) सादे सोने के आभूषण (71131911) (100 किलोग्राम प्रति वर्ष) और (ii) सादे चांदी के आभूषण (71131141) (800 किलोग्राम प्रति वर्ष)" के निर्माण के लिए। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि उत्पादन शुरू होने के बाद हर छह महीने में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी। जब तक यूएसी स्वीकृति पत्र में मौजूदा उत्पादों के निर्यात की निगरानी नहीं करता तब तक स्वीकृति पत्र में कोई अतिरिक्त उत्पाद शामिल नहीं किया जाएगा।

2.6 अनुमोदन संशोधित फॉर्म-एफ जमा करने के बाद और निम्नलिखित सुधार पर निर्भर है:

- फॉर्म-एफ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया है और प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगाई गई है।
- उपरोक्त अनुमोदन के अनुसार अधिकृत संचालन का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
- संशोधित अनुमानों के अनुसार, यह देखा गया है कि कुल विदेशी मुद्रा व्यय 8363.83 लाख बताया गया है जबकि कुल आयातित इनपुट 8393.83 लाख रुपये दिया गया है। इसलिए, कुल विदेशी मुद्रा व्यय को फॉर्म-एफ में ठीक करने की आवश्यकता है।

### **(3) एपीके आइडेंटिफिकेशन (दिल्ली) - उत्पादन क्षमता की मंजूरी और प्रदर्शन की निगरानी।**

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19 (2) के प्रावधान 1 के अनुसार अधिकृत संचालन की उत्पादन क्षमता को मंजूरी दी:

- इलेक्ट्रॉनिक्स उप-असेंबली (85235290) (5000 टुकड़े/वर्ष);
- प्लास्टिक ढली हुई वस्तुएँ (39269099) (500000 टुकड़े/प्रति वर्ष);
- मशीनिंग घटक (84839000) (5000 टुकड़े/वर्ष);
- संपर्क रहित कार्ड और टैग (85235290) (1500000 टुकड़े/वर्ष)"

"का विनिर्माण

3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2018-19 (14.08.18-31.03.19) से 2021-22 के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे देखा कि एनएसडीएल आँकड़े के अनुसार, इकाई ने 2022-23 में 22.63 करोड़ रुपये और 2023-24 में 3 करोड़ रुपये (30.06.2023 तक) का निर्यात किया है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2022 तक वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के अनुसार कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

### **(4) ट्रेड परफैक्शन - निर्यात के लिए दी गई एकमुश्त अनुमति का अनुसमर्थन और स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।**

4.1 फर्म में भागीदार श्री राजेश अग्रवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें विभिन्न रेटिंग के ट्रांसफार्मर के निर्माण के ऑर्डर मिले हैं, हालांकि वर्तमान स्वीकृति पत्र में वस्तु केवल विद्युत ट्रांसफार्मर एचएस कोड 85042100 के रूप में उल्लिखित है।

4.2 यह बताया गया कि इकाई द्वारा दिखाई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, लदान बिल नंबर 4028902 दिनांक 21.07.2023 के तहत एचएस कोड 85042310 के तहत सहायक उपकरण के साथ ट्रांसफार्मर के निर्यात के लिए दिनांक 24/07/2023 को एकमुश्त अनुमति दी गई थी, जो अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन थी।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस कोड 85042310 के तहत सहायक उपकरण के साथ ट्रांसफार्मर के निर्यात के लिए दिनांक 24/07/2023 को एकमुश्त अनुमति प्रदान की गई। अनुमोदन समिति ने स्वीकृति पत्र में अधिकृत परिचालन में "इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर (85042200, 85042310, 85043200, 85043300, 85043400)" के विनिर्माण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

#### **(5) पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड-आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतनीकरण और अनुमानों में संशोधन के अनुमोदन की कार्यांतर मंजूरी नोटिंग।**

5.1 श्रीमती रश्मी आनंद, निदेशक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कोविड 19 के कारण कंपनी मार्च 2023 तक माल का निर्यात नहीं कर सकी। इकाई ने अब सोने के आभूषणों का निर्यात शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में आज तक कुल निर्यात 10.00 करोड़ रुपये है, जबकि उनके पहले का अनुमान 15 करोड़ रुपये था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यकीन है कि वे रुपये का निर्यात कारोबार हासिल करेंगे। 2023-24 के दौरान 900 करोड़ रुपये, क्योंकि उनके पास पर्याप्त ऑर्डर हैं।

5.2 यह भी सूचित किया गया कि इस कार्यालय पत्र दिनांक 27/07/2023 के माध्यम से, इकाई को अनुमति दिए गए अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड को वर्तमान राष्ट्रीय प्रशुल्क लाइन के अनुरूप अद्यतन किया गया है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतनीकरण के लिए दी गई मंजूरी पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी:

रुपये लाखों में

विवरण	मौजूदा	संशोधित
निर्यात का एफओबी मूल्य	7500.00	330000.00
विदेशी मुद्रा व्यय	6913.47	310397.50
निवल विदेशी मुद्रा कमाई	586.53	<b>19602.50</b>
आयातित पूंजीगत वस्तुएं	2.00	150.00
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएं	2.00	50.00
आयातित कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएं/घटक आदि	6900.00	310237.00
स्वदेशी कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएं/घटक आदि	318.76	1000.00

हालाँकि, अनुमोदन संशोधित और सही प्रक्षेपण शीट प्रस्तुत करने के अधीन है।

#### **(6) एसी इम्पेक्स - अनुमानों में संशोधन।**

6.1 इकाई में भागीदार श्री अमित गर्ग अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री गर्ग ने बताया कि कंपनी केवल एक महीने की अवधि के भीतर अपने निर्यात अनुमानों को हासिल

करने के बहुत करीब है। इसलिए, उन्होंने पांच साल के अगले ब्लॉक के लिए अपने निर्यात अनुमान को 100 करोड़ से बढ़ाकर 4500 करोड़ करने का अनुरोध किया है।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

रुपये लाखों में

विवरण	मौजूदा	संशोधित
निर्यात का एफओबी मूल्य	10000.00	450000.00
विदेशी मुद्रा व्यय	9005.20	427742.35
निवल विदेशी मुद्रा कमाई	994.80	<b>22257.65</b>
आयातित पूंजीगत वस्तुएँ	0.00	210.00
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएँ	2.00	25.00
आयातित कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएँ/पुर्जे/घटक आदि	9000.00	427525.00
स्वदेशी कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएँ/घटक आदि	551.00	500.00

**(7) क्वालिटिस्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड- नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण और प्रदर्शन की निगरानी के लिए अंतिम मंजूरी।**

7.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती अनु बाली और श्री मनोज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

7.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने इकाई को सभी निर्यात आय की प्राप्ति के लिए एक प्राप्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

7.3 समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत मेसर्स क्वालिटिस्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट नंबर 190, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भवन सहित संपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स रैम्पो एसआईएस प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फ़ाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

**(8) पेरटेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।**

8.1 इकाई से कोई भी बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने ईमेल दिनांक 01/08/2023 के माध्यम से प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित किया।

**(9) बिड़लासॉफ्ट लिमिटेड - नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण और प्रदर्शन की निगरानी के लिए अंतिम मंजूरी।**

9.1 मेसर्स बिड़लासॉफ्ट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कौशिक गिरि और श्री अरुण त्यागी और मेसर्स पेट्रोनस अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आदित्य झुनझुनवाला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

9.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कोई भी निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

9.3 समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर 34 और 35 में भवन सहित संपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स बिड़लासॉफ्ट लिमिटेड को मेसर्स पेट्रोस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र को फाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को सभी निर्यात आय की प्राप्ति के लिए एक प्राप्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त